न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 174/2010

1. नत्थी पुत्र भौंटा
2. रूपी
3. इन्दर
4. सुन्दर पिसरान अमरसिंह जाति जाटव निवासी झण्डीपुर तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थीगण

दिनांक :– 10/03/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा दुरूस्तगी खतौनी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 127/0.19, 128/0.11, खाता संख्या 90 से वादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 95/0.11, 97 मिन/0.13, 279/0.16, 281/0.28, 305, 0.26, खाता संख्या 92 से वादी संख्या 1 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 लगायत 4 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 94/0.09 , 96/0.25, 97/0.15, खाता संख्या 93 से वादी संख्या 1 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 4 1/2 हिस्से बांके ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी के गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी को राजस्थान सरकार ने वादीगण के पिता को अलॉट किया था तभी से आराजी पर वादीगणों के पिताओं का शान्ति पूर्वक कब्जा व काश्त है तथा वर्तमान में भी आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के पिता ने मुताबिक नियम राज्य सरकार में कीमत जमा करा दी और राज्य सरकार ने वादीगण के पिताओ को खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये । जिसके आधार पर दा0खा0न0 127 से अमरसिंह पुत्र मल खां के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश हुये जिसका अमल उस समय जमाबन्दी सम्वत 2025 लगायत 2028 में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

हो गया । उक्त दाखिल खारिज आदेश आज भी प्रभावी है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण आगामी सालों की जमाबन्दी बनाते समय पुनः वादीगण के पिताओं भोटा व अमर सिंह को गैर खातेदार दर्ज कर दिया और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है। जिसे वादीगण कलमजन कराकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करा पाने का अधिकारी है। आराजी के संबन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन गैर खातेदार के संबन्ध में वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र दुरूस्तगी खतौनी बाबत उपखण्ड अधिकारी महोदय, कामाँ को दिनांक 27/11/2008 को दी। जिसे एस0डी0ओ0 कामाँ ने तहसीलदार पहाडी को भेजा परन्तु तहसीलदार पहाडी ने रिकॉर्ड में शुद्धी नहीं की इसके बाद वादीगण ने 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रतिवादी व उसके जिला अधिकारी जिला कलक्टर को दिया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया । परन्तु नोटिस भी खतौनी में दुरूस्ती नहीं की जिस पर वाद गुजरने म्याद नोटिस यह दावा पेश किया जा रहा है। आराजी पर रिकॉर्ड में हो रहे गलत गैरखातेदारी के अंकन होने के कारण वादीगण अपनी आराजी की बाबत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ नहीं ले पा रहा है। बिना मुखास्मत प्रथम प्रार्थना पत्र एस0डी0ओ0 कार्यालय कामाँ देने पर दिनांक 27/11/2008 व दोयम नोटिस 80 सी0पी0सी0 देने पर कार्यवाही ना करने पर पैदा हुई। वादीगण को रिकॉर्ड में गलती से खातेदार की जगह गैरखातेदार दर्ज किया जा रहा है । कि टीप दुरूस्ती कराई जाकर वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार की जगह खातेदार दर्ज कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित आया । जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुत0 मुताबिक राजस्व वादीगण के गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुत0 वादीगण को आवंटन नही की गई है। दाखिल खारिज संख्या 127 के अनुसार वादीगण के पिताओं को खातेदारी दर्ज नहीं की गई है। आराजी खसरा नम्बर 127/0.19, 128/0.21 वादीगण की गैरखातेदारी दर्ज है। शेष नम्बरान बाबत दावा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुत0 वादीगण के बुजुर्गान को अलॉट हुई थी जिस पर आज भी वादीगण का कब्जा व काश्त है।

........वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी वादीगण के पिताओं को दा0खा0न0 134 से राजस्व रिकॉर्ड में अमर सिंह पुत्र मलखा को खातेदार के आदेश प्रदान किये है।

........वादीगण

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी के आज भी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम गैरखातेदार कर रखा है।

........वादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण के पिताओं राज्य सरकार की कीमत अदा कर दी थी तथा उन्हे रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया था।

........वादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुत0 वादीगण को अलॉट नहीं हुई है।

........प्रतिवादी

6:–दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 नत्थी, पी0डब्लू0 2 इन्दर, पी0डब्लू0 3 सुन्दर, पी0डब्लू0 4 रूपी, के शपथ पत्र पेश किये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20, 2025–28, 2029–32, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2058–61, नकल दाखिल खारिज संख्या 134 जमाबन्दी , नकल प्रार्थना पत्र उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी कामाँ, नकल नोटिस 80 सी0पी0सी0 पेश की ।

निर्णय से पूर्व आराजी के संबन्ध में निम्न बिन्दुओं पर तहसीलदार पहाडी से जाँच रिपोर्ट मंगाई गयी।

1. आया विवादित आराजी कस्टोडियन है या नहीं।
2. विवादित आराजी धारा 16 से प्रभावित तो नहीं है।
3. वर्तमान में विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त किसकी है।

तहसीलदार पहाडी की जाँच रिपोर्ट प्राप्त की गई । मुताबिक जाँच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर कस्टोडियन नहीं है।
2. आराजी उक्त नम्बरान धारा 16 से प्रभावित नहीं है।
3. उक्त आराजी खसरा नम्बरान पर वर्तमान में सम्बन्धित काश्तकारो का कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुत0 वादीगण के बुजुर्गान को अलॉट हुई थी जिस पर आज भी वादीगण का कब्जा व काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में है। जिसमें से कुछ भूमि पर दा0खा0न0 127 से वादीगण के पिता अमरसिंह पुत्र मल खां के नाम खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अभी भी गैर खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी वादीगण के पिताओं को दा0खा0न0 134 से राजस्व रिकॉर्ड में अमर सिंह पुत्र मलखा को खातेदार के आदेश प्रदान किये है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड दा0खा0न0 134 से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि आराजी पर वादीगण के पिता अमरसिंह पुत्र मल खां के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी के आज भी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम गैरखातेदार कर रखा है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 90,92 एवं 93 पर वादीगण के गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज है। तहसीलदार पहाड़ी की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वर्तमान में वादीगण के गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण के पिताओं राज्य सरकार की कीमत अदा कर दी थी तथा उन्हे रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया था।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में है। जिसमें से कुछ

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर दा0खा0न0 127 से वादीगण के पिता अमरसिंह पुत्र मल खां के नाम खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अभी भी गैर खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 5 :–</u> आया आराजी मुत0 वादीगण को अलॉट नहीं हुई है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार पहाड़ी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आराजी मुत0 वादीगण को अलॉट नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

6. दादरसी :– तनकी संख्या 1,2,3,4 व 5 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादी संख्या 01 को आराजी खसरा नम्बर 127/0.19, 128/0.11 बांके ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर सम्पूर्ण हिस्सा का एवं आराजी खसरा नम्बर 95/0.11, 97 मिन/0.13, 279/0.16, 281/0.28, 305/0.26, 94/0.09 , 96/0.25, एवं 97/0.15 पर वादीगण को हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner